सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री पी.पाण्डेय, अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 32/2020 दिनांक 27.11.2020

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5434
Date 08 FEB 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

श्री मनीष कुमार सोनी
राजनांदगांव — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर — प्रतिअपीलार्थी

–:: **आदेश** ::–

(दिनांक 06/02/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री मनीष कुमार सोनी, राजनांदगांव की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है। जिसे प्रकरण क्रमांक 32/2020 दिनांक 27.11.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के भर्ती परीक्षा के संबंध में बिन्दुवार निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिये डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कुल आवेदकों की मेरिट कमांक व प्राप्त अंको (लिखित व कौशल) की प्रमाणित सूची।

(ब) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. के अंतर्गत दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिये डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के नियमित पद के साक्षात्कार में उपस्थित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कुल आवेदकों की मेरिट कमांक व प्राप्त अंको (लिखित व कौशल) की प्रमाणित प्रति।

(3) पत्र क्रमांक 83 दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.12.2020 को निर्धारित कर, दोनों उभय पक्ष को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को विद्युत कर्मचारी संघ, फेडरेशन के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बैठक आयोजित होने के कारण अपील प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपील प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 13.01.2021 को निर्धारित कर, अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सूचित किया गया। नियत तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपील की सुनवाई दिनांक 03.02.2021 को शाम: 4:00 बजे निर्धारित कर, पत्र कमांक 02 दिनांक 27.01.2021 के

...म से अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) प्रबंधक (मा.सं.) –तीन, तथा अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन कि कंडिका 02/–टीप में आवेदक द्वारा डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के संबंध में 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है।

तत्संबंध में आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 2482 दिनांक 19.11.2020 के माध्यम से 02 पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न कर, अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा पूर्व में भी समान विषयवस्तु का आवेदन दिनांक 04.03.2020 प्रस्तुत किया गया था। जिसके तारतम्य में पत्र कमांक 01–04/ज.सू.अ.–88/2020/1128 दिनांक 28.04.2020 के माध्यम से आपको वांछित जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद की भर्ती की चयन प्रकिया में साक्षात्कार का उल्लेख नही है। अतः आपको वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह तर्क संगत है। क्योकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–राजनांदगांव क्षेत्र के लिये जारी विज्ञापन के अनुसार डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद की भर्ती की चयन प्रकिया में साक्षात्कार का उल्लेख नही है।

(iii) अपीलार्थी श्री मनीष सोनी का तर्क/कथन कि मै जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर से संतुष्ट हूँ, व अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। क्योकि डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पद के भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार प्रकिया का कोई उल्लेख नही है। अतः दर्ज प्रथम अपील प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाए।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04/–टीप में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दिये गये प्रतिउत्तर पूर्णतः न्यायसंगत है, जो स्वीकार योग्य है।

जैसा कि कंड़िका 05/–टीप के पैरा (iii) में अपीलार्थी श्री सोनी द्वारा दिये गये तर्क से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर पदो के भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार तत्संबंधी प्रकिया के संबंध में भ्रम हुआ है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपनी गलती स्वीकार कर, दर्ज प्रथम अपील प्रकरण को नस्तीबद्ध करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 32/2020 दिनांक 27.11.2020) को एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(पी.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

पृ.क्रमांक 01-02/अ.अ./ 06 रायपुर दिनांक 06/02/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3). श्री मनीष कुमार सोनी, चौखाड़िया पारा, वैष्णव देवी मंदिर के पीछे, वार्ड नबरं – 40, राजनांदगांव (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर
जिला– रायपुर

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in